

10/11/2024

पत्रावली आज पैदा हुई। उभय पक्ष वकील उपस्थित।
उभय पक्ष वकील बहस सुनी गयी। उभय पक्ष वकील
बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार
पर प्रमाण के पक्ष में अस्थायी निवेद्या के तीनों
बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं
अप्रतीक कृति सिद्ध नहीं होते हैं। अतः प्रमाण का
प्रमाण-पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण
खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल कुमार ठोकर
उर्जे नम्बर से कम होकर बाउ तस्मील शामिल इफ्तार
निर्णय आज दिनांक 10/11/2024 को मेरे हाथ
लिखा जाकर सरे-उजलास सुनाया गया।



10/11/24

सहायक जज
बाप (पत्रावली)